संख्या- 26 / 1158 / 74-2014-21(ब) / 2013

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग — लखनऊ:: दिनांक 12 सितम्बर, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-आयोजनागत-13-नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन" योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-276 / सेरी0 / आयोजनेत्तर / बजट मांग / 2014-15, दिनांक 17 जुलाई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-आयोजनागत-13-नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन" में प्राविधानित धनराशि रू0 4700 हजार(रूपये सैतालीस लाख मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-15 / 499 / 74-2014-21(ब) / 2013, दिनांक 12 जून, 2014 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी धनराशि रू0 1465 हजार (रूपए चौदह लाख पैसठ हजार मात्र) को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 3235 हजार (रूपए बत्तीस लाख पैतीस हजार मात्र) में से मद संख्या-26-मशीने और सज्जा / उपकरण और संयंत्र से संबंधित धनराशि रू0 300 हजार (रूपए तीन लाख मात्र) को स्थगित रखते हुए शेष रू0 2935 हजार (रूपए उन्तीस लाख पैतीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय नीचे उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

मद सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्रावधानित धनराशि	प्रथम चार माह (अप्रैल, मई, जून व जुलाई,2014) हेतु अवमुक्त की जा चुकी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 के अवशेष 08 माह हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
02	मजदूरी	1500	500	1000
08	कार्यालय व्यय	50	16	34
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300	100	200
26	मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	300	-	-
29	अनुरक्षण	300	100	200
42	अन्य व्यय	700	233	467
43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	1500	500	1000
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50	16	34
	योग	**4700**	**1465**	**2935**

(रूपये उन्तीस लाख पैतीस हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों एवं अन्य आदेशों के अन्तर्गत

http://shasanadesh.up.nic.in

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उसी मद में नियमानुसार व्यय किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(3) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय-विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय तथा स्टोर परचेज रूल्स एवं संबंधित शासनादेशों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार ही खरीददारी सुनिश्चित की जाय।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। मितव्ययिता के सम्बन्ध में धनराशि व्यय करते समय वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के शासनादेश संख्या-सी0 ए0-934/दस-2008/मित0-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शासनादेशों में निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने के बाद यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को विलम्बतम दिनांक 15 मार्च, 2015 तक निश्चित रूप से समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार ही सुनिश्चित किया जाये तथा उसकी त्रैमासिक समीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से करते हुए त्रैमासिक अद्यावधिक व्यय की स्थिति /उपयोगिता से भी शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) उक्त धनराशि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0 के मानक के अनुसार व्यय की जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-आयोजनागत-13-नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन" के अधीन सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 सपठित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या एंव दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0,इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।

(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(8) नियोजन अनुभाग-4
(9) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(10) बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
(11) गार्ड फाइल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in